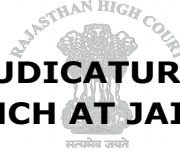




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 3rd Bail Application No. 16132/2025

Neeraj Kumar S/o Shri Narayan, Aged About 28 Years, R/o  
Khurda Ka Jhopda, Devi Kheda, Police Station Dooni, District  
Tonk (Raj.) (At Present Confined In District Jail Tonk)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

---

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Pawan Verma, Adv.   |
| For Respondent(s) | : | Mr. Shri Ram Dhakar, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Judgment / Order**

**08/12/2025**

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना-**दूनी, टोंक** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-**17/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता, 65, 66, 66सी, 66डी एवं 43 आई.टी. एक्ट में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है, पूर्व में बकाया अनुसंधान की स्थिति को देखते हुए अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन दिनांक 20.05.2025 को खारिज किया गया था, द्वितीय जमानत आवेदन दिनांक 25.09.2025 को वापिस लिया गया था। अभी भी कर्नाटक के निवासी अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है, वर्तमान अभियुक्त लम्बे समय से अभिरक्षा में है, अनुसंधान हेतु पर्याप्त समय पुलिस को मिल चुका है, कुछ महत्वपूर्ण गवाहन के बयान हो चुके हैं, इसलिए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।



विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने अवैध रूप से पोर्टल व वेबसाइट बनाकर सार्वजनिक डेटाज के साथ छेड़छाड़ कर दस्तावेजों की कूटरचना की तथा करीब 23,00,000/— रुपये का लेनदेन किया।

यद्यपि अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप गंभीर हैं, लेकिन वर्तमान मामले में करीब 11 माह से अभिरक्षा में है, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकार्ड नहीं है, अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **नीरज कुमार पुत्र नारायण** की ओर से प्रस्तुत यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J